



# इण्डियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank

वार्षिक रिपोर्ट

## Annual Report 2002-2003

इण्डियन ओवरसीज बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालइ, चेन्नई - 600 002



Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

### शेयरधारकों को अनुदेश : अतिआवश्यक व तत्काल

1. जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02 के लिए लाभांश या वापसी आदेश प्राप्त नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे को फोलियों नं व आवेदन नं. (वापसी आदेश संबंधी दावे के मामले में) सहित, निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालइ, चेन्नई 600 002 को प्रेषित करें।
2. शेयर धारक, जो अपने शेयरों को मूर्त रूप में रख रहे हैं, और ईसीएस केन्द्रों में रहते हैं (केन्द्रों की सूची पृष्ठ सं.116 में दी गई है) उनसे अनुरोध है कि वे पृष्ठ सं.115 में दिए गए ईसीएस अधिदेश प्रारूप, हमारे रजिस्ट्रार मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसस लि. को, अगर अब तक नहीं भेजा है तो, तुरन्त भेज दें। बैंक अधिदेश विवरणों में अगर कोई परिवर्तन हो जैसे कि बैंक के नाम, शाखा के नाम, खाता संख्या में परिवर्तन हो तो इसकी भी सूचना तुरन्त दी जानी चाहिए।
3. शेयर धारक जो अपने शेयरों को मूर्त रूप में रख रहे हैं और गैर ईसीएस केन्द्रों (पृष्ठ सं.116 में सूचित किए गए केन्द्रों को छोड़ कर अन्य) में रहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे पृष्ठ सं.17 में दिए गए अधिदेश प्रारूप को, अगर पहले ही नहीं भेजा है या बैंक अधिदेश विवरणों में कोई परिवर्तन हो तो, हमारे रजिस्ट्रार को तुरन्त प्रेषित करें। बैंक अधिदेश की प्रस्तुति से लाभांश अधिपत्र के धोखापूर्ण नकदीकरण से बच सकते हैं।
4. अगर शेयरधारक अपना शेयर किसी डीपी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं तो अधिदेश में, पते, बैंक खाते, बैंक, शाखा आदि के नाम में परिवर्तन के लिए इन्हें संबद्ध डीपी को ही संपर्क करना है और न कि रजिस्ट्रार को। कृपया, नोट करें कि लाभांश अधिपत्र को डीपी द्वारा प्रेषित पते पर भेजा जाएगा अथवा डीपी द्वारा रजिस्ट्रार को 13.06.2003, जो रिकार्ड तारीख है, को दिए गए विवरणों के अनुसार खाते में जमा कर दिया जाएगा।

### Instructions to shareholders: Most urgent and immediate

- 1) Shareholders who have not received dividend for Financial years 2000-01, 2001-02 or Refund Order are requested to send their claim along with Folio No. and Application No. (in case of claim for Refund Order) to Investors Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.
- 2) Shareholders holding shares in physical form and residing in ECS centres (List of centres furnished in page No. 116), are requested to furnish immediately ECS mandate form given in page No. 115 to our Registrar M/s. Cameo Corporate Services Ltd., **if not submitted earlier. Any changes in the Bank mandate particulars, namely change in the Bank name, branch name and account number should also be intimated immediately.**
- 3) Shareholders holding shares in physical form and residing in **non-ECS centres** (other than list of centres furnished in page No. 116) are requested to furnish Bank mandate form given in page No. 117 to our Registrar, **if not furnished earlier or any changes in the Bank mandate particulars.** Submission of the Bank mandate form **would prevent the fraudulent encashment of dividend warrants.**
- 4) In case, the shareholders are holding shares in the electronic form through a DP, they have to approach the concerned DP only for any change in the mandated particulars like change of address, Bank a/c, name of the Bank, Branch etc., and not the Registrar. Please note that the dividend warrant would be sent to the address furnished by DP or credited to the account as per particulars given by DP to the Registrar as on 13-06-2003, being the record date.


**इण्डियन ओवरसीज बैंक**

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालइ, चेन्नई - 600 002


**Indian Overseas Bank**

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

## वार्षिक रिपोर्ट - Annual Report 2002-2003

### निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

श्री एस.सी.गुप्ता अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	<b>Shri S.C.GUPTA</b> Chairman and Managing Director
श्री रोहित एम देसाई कार्यपालक निदेशक	<b>Shri ROHIT M DESAI</b> Executive Director
श्री बी.घोष भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती	<b>Shri B.Ghosh</b> Reserve Bank of India Nominee
श्रीमती उषा माथुर भारत सरकार की नामिती	<b>Smt.Usha Mathur</b> Government of India Nominee
श्री के.आनन्द कुमार अधिकारी निदेशक	<b>Shri K.Ananda Kumar</b> Officer Director
श्री शंकरन श्रीनिवासन कर्मकार निदेशक	<b>Shri Sankaran Srinivasan</b> Workman Director
श्री हिम्मत सिंह सिंघवी भारत सरकार द्वारा नामित	<b>Shri Himmat Singh Singhvi</b> Nominated by Government of India
श्री प्रकाश अग्रवाल भारत सरकार द्वारा नामित	<b>Shri Prakash Agrawal</b> Nominated by Government of India
श्री किन्नालकर नितिन मोरेश्वर भारत सरकार द्वारा नामित	<b>Shri Kiwalkar Nitin Moreshwar</b> Nominated by Government of India
श्री एम एन वेंकटेशन शेयरधारक निदेशक	<b>Shri M N Venkatesan</b> Shareholder Director
श्री क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन शेयरधारक निदेशक	<b>Shri Christopher Thomas Kurien</b> Shareholder Director
डॉ. हर्ष महाजन शेयरधारक निदेशक	<b>Dr.Harsh Mahajan</b> Shareholder Director
श्री एस के सहगल शेयरधारक निदेशक	<b>Shri S K Sehgal</b> Shareholder Director

### लेखा परीक्षक / AUDITORS

पद्मनाभन प्रकाश ऐण्ड कं.	<b>Padmanabhan Prakash &amp; Co.</b>
गुप्ता ऐण्ड कं.	<b>Gupta &amp; Co.</b>
बब्बर ज़िंदल ऐण्ड कं.	<b>Bubber Jindal &amp; Co.</b>
बंसल ऐण्ड कं.	<b>Bansal &amp; Co.</b>
अमित रे ऐण्ड कं.	<b>Amit Ray &amp; Co.</b>
वेद ऐण्ड कं.	<b>Ved &amp; Co.</b>

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण ऐजेंट  
मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड  
(आईओबी यूनिट) सुब्रमणियन बिल्डिंग  
पांचवीं मंजिल, नं. 1, क्लब हाउस रोड,  
चेन्नई - 600 002  
दूरभाष: 28460390 (छः लाइनें)  
फैक्स: 28460129  
ई.मेल: cameosys@satyam.net.in

Registrars and Share Transfer Agents  
M/s Cameo Corporate Services Ltd.,  
(Unit-IOB) Subramahian Building  
V Floor, No.1, Club House Road  
Chennai - 600 002  
Tel:28460390 (Six Lines)  
Fax:28460129  
e-mail: cameosys@satyam.net.in

इण्डियन ओवरसीज बैंक



Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालइ, चेन्नई - 600 002

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

## वार्षिक रिपोर्ट - Annual Report 2002-2003

विषय सूची - Contents	पृष्ठ / Page	पृष्ठ / Page
अध्यक्ष की ओर से From the Chairman's Desk	3	वार्षिक लेखे Annual Accounts 54
शेयरधारकों को सूचना Notice to Shareholders	6	नकदी प्रवाह विवरण और लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र
परिणाम - एक नज़र में Result at a glance	15	Cash Flow Statement and Auditors' Certificate 90
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	16	लेखा - परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report 92
प्रबन्धन - चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट		आइओबी प्रापर्टीस प्रा.लि. का तुलन-पत्र
Management Discussion and Analysis	22	Balance Sheet of IOB Properties Pte Ltd. 98
कार्पोरेट प्रबन्धन पर निर्देशकों की रिपोर्ट		प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form 114
Directors Report on Corporate Governance	35	ईसीएस अधिदेश ECS Mandate 115
कार्पोरेट प्रबन्धन पर लेखा - परीक्षकों का प्रमाण पत्र		बैंक अधिदेश Bank Mandate 117
Auditors Certificate on Corporate Governance	52	उपस्थिति-पत्रों Attendance Slip 119

## वित्तीय कैलेंडर

## FINANCIAL CALENDAR

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 के लिए

For the Financial year 1<sup>st</sup> April, 2002 to 31<sup>st</sup> March 2003

लेखों के अनुमोदन हेतु मण्डल की बैठक	19.05.2003	Board Meeting for approval of accounts	19.05.2003
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक को लेखों की गण्युति	09.06.2003	Submission of Accounts to the MOF, Govt. of India/RBI	09.06.2003
वार्षिक रिपोर्ट का पोस्टिंग	18.06.2003 से 23.06.2003 तक	Posting of Annual Report	18.06.2003 to 23.06.2003
बही-समाप्ति की तारीखें	14.06.2003 से 20.06.2003 तक (दोनों दिन शामिल) और लाभांश के लिए पात्र होने तथा तीसरी एजीएम में भाग लेने के लिए रिकार्ड तारीख 13.06.2003 होगी।	Book Closure Dates	14.06.2003 to 20.06.2003 (both days inclusive) and 13.06.2003 will be the record date for eligibility of dividend and for attending the 3 <sup>rd</sup> AGM.
प्रॉक्सी फॉर्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख	14.07.2003 पूर्वा. 10 बजे	Last date for Receipt of Proxy Forms	14.07.2003 10.00 A.M.
वा.सा.वै(एजीएम) की तारीख	18.07.2003, पूर्वा. 10 बजे	Date of AGM	18.07.2003 10.00 A.M.
लाभांश की घोषणा	18.07.2003	Declaration of dividend	18.07.2003
लाभांश की भुगतान - तारीख	17.08.2003	Dividend Payment Date	17.08.2003
लाभांश अधिपत्रों के प्रेषण की प्रसंभाव्य तारीख	10.08.2003 - 16.08.2003	Probable Date of Despatch of Dividend Warrants	10.08.2003 to 16.08.2003



## अध्यक्ष की ओर से FROM THE CHAIRMAN'S DESK



**श्री एस.सी. गुप्ता**  
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक  
**Shri S.C. Gupta**  
*Chairman and Managing Director, Indian Overseas Bank*

### प्रिय शेयरधारको,

आप सबको शुभकामनायें देने के साथ-साथ मुझे वर्ष 2002-2003 के लिये आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट व वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुये अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वर्ष 2002-2003, बैंकिंग उद्योग के लिए सामान्यतया और विशेष रूप से आपके बैंक के लिये एक अच्छा वर्ष रहा है। भारत सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये बहुत से वैधानिक व नियामक परिवर्तनों ने बैंकिंग उद्योग के आधार को और सुदृढ़ किया है। भारत सरकार द्वारा लागू वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 तथा बिना किसी भेदभाव व गैर -विवेकाधिकार के एक बारगी निपटान / न्यायालय से बाहर निपटान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारम्भ योजनाओं से बैंकिंग उद्योग के अनर्जक आस्तियों की तेजी से वसूली के प्रयास को आवश्यक बल मिला है। आने वाले समय में इससे बैंकों को उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो से बेहतर लाभ अर्जित करने में मदद मिलेगी। आपके बैंक ने डूबते हुये ऋणों को वसूल करने के लिए इन उपायों से लाभ उठाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। बड़ी अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए चेन्नई में एक विशेष शाखा खोली गई है और इस शाखा का कार्य उत्साहवर्धक रहा है। इसलिए अन्य स्थानों पर ऐसी ही शाखाएँ खोलने पर विचार किया जा रहा है।

### Dear Shareholders,

I take great pleasure in extending my greetings and best wishes to you all and place before you the Annual Report and financial statements of your Bank for the year 2002-03.

The year 2002-03 has been a good year for the banking industry in general and your bank in particular. A number of legislative and regulatory changes, effected by the Government of India and the Reserve Bank of India, have added value to the fundamentals of the banking industry. The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act - 2002 enacted by the Government of India and schemes introduced by RBI for non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement / Out of Court Settlement, has provided the necessary impetus to the efforts of banking industry for accelerated pace of recovery of non-performing assets. In the long run this would help the banks to realise better return from their credit portfolio. Your Bank has taken concrete steps to take advantage of these measures to recover bad debts. A specialised branch has been opened at Chennai to manage large non-performing assets and its performance has been encouraging. Hence, opening similar branches at other centres is being considered.



जोखिम प्रबन्धन व जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर पुनः जोर देने व नई बासले समिति के मानकों की ओर जाने की आवश्यकता से बैंकों को अपनी नीतियों व रणनीतियों के पालन के लिये पुनराभिव्यक्त व पुनर्केन्द्रित करना होगा।

विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए व अन्य कार्यकलापों से अधिक आय कमाने के लिये आपका बैंक, बीमा क्षेत्र में, कम्पोजिट कार्पोरेट एजेंट के रूप में शुल्क के आधार पर, बिना किसी जोखिम में शामिल हुए, उतरा है। हमने आइ आर डी ए से भारतीय जीवन बीमा निगम व नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के क्रमशः जीवन व गैर जीवन उत्पादों के विपणन, बिक्री व वितरण हेतु लाइसेंस प्राप्त किया है। स्टाफ सदस्यों की इसका प्रशिक्षण दिया गया है व आवश्यक प्रक्रिया व कार्य प्रणाली स्थापित कर दी गई है जिससे यह क्रियाकलाप हमारे लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि कर सके।

आगे के पृष्ठों में इस वर्ष के कार्यकारी परिणामों को देखने से पता चलता है कि आपके बैंक ने सन्तोषजनक कार्य निष्पादन किया है। न केवल लाभ में भारी वृद्धि हुई है, बल्कि निवल ब्याज मार्जिन में प्रगतिशील वृद्धि हुई है और स्थापना गत खर्चे नियंत्रण में रहे हैं। यद्यपि ट्रेजरी परिचालनों का इसमें एक बड़ा हिस्सा है, मुख्य भाग परिचालनों से आया है। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.30% है जो सुविधाजनक स्तर पर है। यद्यपि अनर्जक आस्तियों का मामला गंभीर बना हुआ है, आपके बैंक ने इसे नियंत्रित कर रखा है और इसे निपटाने के लिये लगातार प्रयास कर रहा है, जो कि कुल अग्रिमों में से सकल और निवल आस्तियों के घटते हुए प्रतिशत से प्रकट होता है।

आपके बैंक को ज्ञात है कि आने वाले वर्षों में लाभ मार्जिन पर दबाव और अधिक बढ़ता रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति से उबरने के लिये बैंक कारोबार की मात्रा, व्यापार व अन्य क्रियाकलापों को बढ़ाकर व तकनीक के प्रयोग द्वारा परिचालनगत खर्चे घटने जैसी विशेष रणनीतियों के साथ तैयार है। कार्यक्षम व त्वरित ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए आपका बैंक तकनीक के प्रसार व क्षेत्र विस्तार पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

आपके बैंक की वृद्धि विभिन्न जोखिम प्रबन्धन उपायों का पालन करने से जुड़ी हुई है। न केवल विभिन्न प्रकार की जोखिमों के आकलन के लिये बल्कि उन्हें नियंत्रक सीमाओं

The renewed emphasis on risk management and risk based supervision and the necessity to move towards the new Basle Committee norms would require banks to reorient and refocus their policies and strategies for compliance.

With a view to diversifying and earning more from other activities, your bank has entered into the field of insurance as Composite Corporate Agents, on a fee basis, without any risk participation. We have obtained licence from IRDA for Marketing, Sale and Distribution of the Life and Non-life products of Life Insurance Corporation of India and National Insurance Company Limited respectively. Staff members have been trained and necessary systems and procedures have been put in place so that this activity can add significantly to the bottom line.

Your Bank has turned out a satisfactory performance, as reflected in the working results brought out in the following pages. The profit has not only shown a quantum jump, but has also been largely achieved out of progressive improvement in net interest margin and control on establishment expenses. Although treasury operations did contribute a fair share, let me emphasise that major chunk has come from operations. Bank's capital adequacy ratio at 11.30 % is at a comfortable level. Although the issue of non-performing assets continues to be daunting, your Bank is seized of the matter and is constantly striving to tackle the same, as to reflected in reduced percentage of gross and net NPAs to total advances.

Your Bank is aware that in the years to come, profit margin would be under increasing pressure. But then it is ready with specific strategies to overcome such trends by increasing volumes, trading and other activities and by reducing operating expenses by using technology. To provide most efficient and speedy customer service, your Bank is paying focused attention to increase the scope and coverage of technology.

The growth of your Bank has been accompanied by introduction of various risk management measures. Necessary systems and procedures have been put



में रखने के लिए भी आवश्यक प्रणालियों एवं पद्धतियों को लागू किया गया है। विभिन्न जोखिम प्रबन्धन के साधन बैंक में लागू हैं। ये साधन आपके बैंक को सभी प्रकार की जोखिमों की निगरानी करने व रोकने के लिये सक्षम बनायेंगे जिससे कि किसी भी प्रकार की पूंजीगत हानि को न्यूनतम किया जा सके। ये सभी उपाय आपके बैंक को जोखिम से बचाएँगे और इससे बाद में लाभ दिलाएँगे और इसको सकारात्मक पक्ष की ओर बने रहने में मदद करेंगे, जिससे हमारा उद्देश्य शेयरधारकों के धन को **“अधिक-से-अधिक बढ़ाना”** पूरा हो सकेगा।

मैं अपने बैंक के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके कठिन श्रम व निरंतर प्रयास के लिये अपनी ओर से उनकी सराहना दर्ज करना चाहता हूँ, जिसके कारण बैंक ने इतना अच्छा निष्पादन किया है।

हम उद्योग में सर्वाधिक प्रतियोगी बैंक होने की अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। हम **युक्तियुक्त कार्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा कार्पोरेट उत्कृष्टता** को प्राप्त करेंगे।

हम आने वाले वर्षों में आस्तियों में 15% से 18% की वृद्धि दर बनाये रखना चाहते हैं जिससे कि आपके बैंक की आधारभूत व्यवस्था, स्टाफ शक्ति व विशेषज्ञता का पूरा उपयोग, बेहतर कार्यकारी नतीजों को प्राप्त करने में हो सके।

आस्तियों के प्रसार को बनाये रखने के लिये व पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने के लिये, हमें अपना पूंजी आधार बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिये हम उचित प्रीमियम के साथ रु.100 करोड़ का पब्लिक इश्यू लाना प्रस्तावित करते हैं। हम इसके लिये आपका अनुमोदन चाहते हैं, जो आज की कार्यसूची की एक मद है।

आपके सहयोग की सतत आकांक्षा में,  
शुभकामनाओं सहित,

**भवदीय,**

**एस.सी.गुप्ता,**

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

चेन्नई

19.05.2003

in place, not only to assess the various types of risks but also to contain them within tolerable limits. Various risk management tools are in place. These tools would enable your Bank to constantly monitor and counter all types of risk so that the possibility of any capital loss is absolutely minimised. All these steps would help your bank to stay on the positive side of the risk matrix and the consequent incentives, the ultimate aim being **“maximisation of shareholder's wealth”**.

I would also like to place on record my appreciation for the employees and officers for the hard work and consistency of effort, which has enabled the Bank to perform well.

We continue our quest for being the most competitive Bank in the industry. We shall achieve **Corporate excellence through sound corporate governance**.

We look forward to maintaining a growth rate of 15% to 18% in our assets in coming years so that the infrastructure, manpower and expertise of your Bank can be utilised to the fullest extent to realise better working results.

In order to sustain the expansion of assets and strengthen the capital adequacy ratio, it would be necessary to expand our capital base. Towards this end, we propose to come out with a public issue of Rs 100 crores with appropriate premium. We need your approval for the same, which is one of the items in today's Agenda.

Looking forward to your continued support.

With warm regards.

**Yours sincerely,**

**S.C.GUPTA**

Chairman and Managing Director

Chennai

19.05.2003

## शेयर धारकों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार 18 जुलाई, 2003 को प्रातः 10 बजे रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालाइ, चेन्नई 600006 में निम्नलिखित व्यवसाय हेतु आयोजित की जाएगी।

1. 31 मार्च, 2003 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना।

2. भारत सरकार को रु.75 करोड़ की अभिदत्त पूँजी की रकम के एक भाग को वापस करने पर विचार करना, बशर्ते कि भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन मिले और नीचे उल्लिखित विशेष संकल्प को आशोधन सहित या आशोधन के बिना, ठीक समझे जाने पर पारित करना।

“यह संकल्प किया गया कि बैंककारी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2 बीबीए) (क) की शर्तों के अनुसार और भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक से ऐसे अनुमोदन, सहमतियाँ, मंजूरियाँ प्राप्त करके और ऐसे अनुमोदन दिए जाने के मामले में उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों व निबंधनों और संशोधनों का पालन करते हुए और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो, बैंक के शेयरधारकों की सहमति हो और बैंक के निदेशक मंडल को रु.75 करोड़ (रु.पचहत्तर करोड़ मात्र) से अनधिक बैंक की अभिदत्त पूँजी के एक भाग को, जो रु.10/- (रु.दस मात्र) के नाममात्र के मूल्य वाले 7,50,00,000 शेयरों अथवा किसी अन्य संख्या वाले ईक्विटी शेयरों में एक या अधिक बार में, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार और बैंक के निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद, भारत सरकार को वापस करना और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा उचित समझी जाने वाली तारीख से बैंक की अभिदत्त पूँजी में कमी लाना।”

आगे, यह संकल्प किया गया कि तत्संबंधी ऐसे सभी कार्यों, मामलों को निपटाने और आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने और ऊपर उल्लिखितानुसार भारत सरकार को अभिदत्त पूँजी का

## NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Third Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, the 18th July 2003 at 10.00 A.M at RANI SEETHAI HALL, 603, Anna Salai, Chennai-600006, to transact the following business.

1. To discuss the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2003, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2003, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To consider return of a part of the paid up capital, amounting to Rs.75 crores to Government of India subject to necessary approval by Govt. of India and if thought fit to pass with or without modification(s) the following as a special resolution.

“RESOLVED THAT in terms of Section 3 (2BBA) (a) and other applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject to such approvals, consents, sanctions from Government of India(GOI)/Reserve Bank of India(RBI) and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to return a part of the paid up capital of the Bank in any manner not exceeding Rs.75 crores (Rupees Seventy five crores only) comprising of 7,50,00,000 shares of nominal value Rs.10/- (Rupees Ten only) each or such other number of equity shares in one or more tranches to GOI as may be decided by the GOI and agreed to by the Board of Directors of the Bank and to reduce the paid up capital of the Bank correspondingly from such a date as may be deemed appropriate by the Board of Directors of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters





एक अंश लौटाने और परिणामस्वरूप बैंक की अभिदत्त पूंजी में कमी लाने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न अथवा शंका का समाधान करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को प्राधिकार दिलाना।

आगे यह संकल्प किया गया कि बैंक के मंडल निदेशक को यह प्राधिकार दिया जाए कि उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक / निदेशकों की समिति को उल्लिखित संकल्प के अनुसार सभी अथवा किन्हीं अधिकारों का दिया जाना।

3. यह संकल्प किया गया कि बैंक की अभिदत्त पूंजी को सार्वजनिक निर्गम/अधिमान्य आबंटन के द्वारा उपयुक्त प्रीमियम पर जनता को शेयर ऑफर करते हुए रु.100 करोड़ से बढ़ाना और ठीक समझे जाने पर नीचे उल्लिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में, आशोधन सहित या आशोधन के बिना, पारित करना।

यह संकल्प किया गया कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सामान्य विनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार और यदि आवश्यक हो, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करके और भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले विनियमों/मार्गनिर्देशों का पालन करते हुए और ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों से उनकी सहमति अनुमति और मंजूरीयाँ लेना आवश्यक हो तो इनका पालन करते हुए, बैंक की सहमति से, और बैंक के निदेशक मंडल (आगे इसे “मंडल” कहा गया है और इस “मंडल” शब्द में वे सारी समितियाँ शामिल होंगी जिसे निदेशक मंडल द्वारा गठित किया गया हो अथवा इसके बाद, अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित की जाती हों, इसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ भी शामिल हैं) की अनुमति से, कुल रु.100 करोड़ मूल्य के लिए, बैंक के नए ईक्विटी शेयर, एक या अधिक बार, व्यक्तियों/कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/सक्षम संस्थागत क्रेताओं/ कर्मचारियों/कर्मचारी न्यासों अथवा अन्य निवेशकों के लिए, जो भारत के निवासी हों, अथवा न हों, और जो बैंक के सदस्य हों अथवा न हों अथवा उपर्युक्त में से किसी मिले जुले संवर्ग के हों - ऐसे व्यक्तियों के लिए, निदेशक मंडल द्वारा उचित समझा जाए तो इन्हें जारी किया जाए/अंशदान के लिए प्रस्तावित किया जाए और समय समय पर इनका आबंटन किया जाए।

आगे यह संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन विवरण पत्रिका/प्रस्ताव पत्र/सार्वजनिक निर्गम के द्वारा और/अथवा प्राइवेट नियोजन के आधार पर अथवा अन्य किसी

and to execute necessary documents and to settle any questions or doubts that may arise with regard to return of a part of the paid up capital to the GOI as aforesaid and consequent reduction of the paid up capital of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers conferred on it as per the above mentioned resolution, to the Chairman & Managing Director/ Executive Director/Committee of Directors of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution.”

3. To consider increasing the paid up capital of the Bank by Rs.100 crore by offering the shares to public at appropriate premium by way of a public issue/preferential allotment and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following as a Special Resolution.

RESOLVED THAT subject to the provisions of Indian Overseas Bank General Regulations 1999 and subject to the approval, if any, of Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and subject to the regulations/guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the consents, permissions and sanctions of such other appropriate authorities as may be necessary, consent of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called ‘the Board’ which term shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to issue/offer for subscription and allot from time to time in one or more tranches, new equity shares of the Bank for an aggregate nominal value of Rs.100 crores, to persons like Individuals/Companies/FIs/Financial Institutions/Banks/Qualified Institutional Buyers/Employees/Employees Trust or other investors, whether resident in India or not, and whether or not they are members of the Bank or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Board.

RESOLVED FURTHER that such issue, offer or allotment shall be through Prospectus/Letter of Offer/by way of Public issue and/or on private

अनुमोदित पद्धति के माध्यम से जारी किए जाएंगे जिसे कि निदेशक मंडल उपयुक्त समझता हो और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन बैंककारी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अधीन जारी किए जाएंगे और यह उस समय ऐसे मूल्य पर (प्रीमियम सहित) और ऐसे ढंग से और ऐसी शर्तों व निबंधनों पर किए जाएंगे जिसे कि निदेशक मंडल अपने विवेक के अनुसार पूर्णतः उपयुक्त समझता हो ।

आगे यह संकल्प किया गया कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी अथवा ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपनी ओर से अनुमोदन सहमति, अनुमति और मंजूरीयाँ दिए जाते समय, प्रस्ताव में किसी प्रकार का परिशोधन किए जाने के लिए निर्देश दिए जाएँ अथवा ऐसा करना आवश्यक हो और जिस पर मंडल की सहमति हो तो उसे स्वीकार करने का प्राधिकार और शक्ति मंडल को होगी ।

आगे यह संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीयों, अन्य वाणिज्यिक बैंकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों को निर्गम तथा आबंटन, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन करना ।

आगे यह संकल्प किया गया कि निर्गम किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सामान्य विनिमय 1999 के अधीन किए जाएंगे तथा तुलनात्मक दृष्टि से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर से एक समान दर्जे के होंगे और अगर प्रचलित सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित किया जाता है तो ये उक्त लाभांश के लिए पात्र होंगे ।

आगे यह संकल्प किया गया कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के उद्देश्य हेतु मण्डल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि उन्हें ऐसे सभी कार्यों, क्रियाकलापों, मामलों तथा विषयों का निपटान करने के लिए जिन्हें वे अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित वांछनीय समझें और इक्विटी शेयरों के निर्गमन से संबंधित किसी भी प्रश्न, कठिनाई अथवा संदेह का समाधान करने और आगे ऐसे सभी कार्यों, क्रियाकलापों, मामलों तथा विषयों का निपटान करने और उन पर निर्णय लेने तथा उन सभी दस्तावेजों और लेखों को निष्पादित करने, जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हो, जिन्हें वे अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार सही, उचित अथवा वांछनीय समझें और जिसके लिए उन्हें आगे शेयरधारकों की सहमति अथवा अनुमोदन प्राप्त करने की अथवा अंतिम निर्णय हेतु प्राधिकृत करने की कोई जरूरत नहीं है और संकल्प के प्राधिकारी द्वारा स्पष्टतया अपना अनुमोदन दिया गया माना जाता है ।

placement basis or any other approved method as may be deemed appropriate by the Board, and that such offer, issue and allotment to be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and at such time or times, at such price (including premium) and in such manner and on such terms and conditions as the Board may in its absolute discretion think fit.

RESOLVED FURTHER that the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions and as agreed to by the Board.

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new Equity shares to NRIs, OCBs, FIIs, be subject to the approval of Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

"REVOLVED FURTHER THAT the said new Equity Shares to be issued shall be subject to the Indian Overseas Bank General Regulations, 1999 and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

'RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the Equity Shares and further to do all such acts, deeds, matters and things and finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."